अनुसूची 14-फारम सं0-562

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1741 का नियम 127)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला.....**सहरसा**....., सं0.....88....., सन् .....**2026**.....

केस का प्रकार.....**आगँनबाड़ी पुनरीक्षण**.....**(आशा देवी बनाम राज्य एवं अन्य)**.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
24.06.2026	**-: आदेश :-** अपीलार्थी उपस्थित। प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद आशा देवी, पति-संजय शर्मा, सा0- ग्राम पंचायत-सुलिन्दाबाद वार्ड नं0-08, प्रखंड-कहरा, जिला-सहरसा के द्वारा जिला पदाधिकारी, सहरसा के आँगनबाड़ी अपील वाद सं0-28/2021 में दिनांक-18.03.2026 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है। दिनांक-24.06.2026 को अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा वाद पत्र का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सहरसा के द्वारा उपरोक्त अपीलवाद में पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पस्तुत वाद जिला पदाधिकारी, सहरसा के विज्ञापन सं0-02, दिनांक-13.10.2018 के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में सेविका चयन से संबंधित है, जो आँगनबाड़ी सेविका/ सहायिका चयन मार्गदर्शिका-2016 से आच्छादित है। आँगनबाड़ी सेविका/ सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2016 की कंडिका-13 में स्पष्ट वर्णित है कि ''जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध 30 दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी जो कि स्वंय अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता सुनवाई के लिए प्राधिकृत होंगे तथा जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्त्ता के द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा।'' बाल विकास सेवाएँ (ICDS), निदेशालय, बिहार (समाज कल्याण विभाग) के पत्रांक-1780, दिनांक-05.03.2020 से सेविका/सहायिका चयन से संबंधित परिवादों के त्वरित निष्पादन हेतु मार्गदर्शिका के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए निदेश दिया गया है कि ''जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलों में लागू होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।''	

आयुक्त न्यायालय कोसी प्रमण्डल, सहरसा

उक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय के स्तर पर पोषणीय नहीं पाते हुए अस्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ वादी की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

लेखापित एवं सत्यापित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।